प्रत्यायन की क्या प्रक्रिया है?

एसक्यूएए की प्रक्रिया में तीन चरण सम्मिलित हैं:

चरण 1: डेटा के समर्थन में संबंधित् साक्ष्य के साथ विद्यालय गुणवत्ता निर्धारण और प्रत्यायन फॉर्म की ऑनलाईन/डाक द्वारा प्रस्तुति

चरण 2: डेटा के अधिप्रमाणन और समर्थक साक्ष्य एकत्र करने के लिए 'पीयर एसेसर टीम' द्वारा विद्यालय का दौरा करना।

चरण 3: आवेदक विद्यालय के प्रत्यायन के बारे में पीएटी/एजेंसी द्वारा सीबीएसई को अंतिम रिपोर्ट देना

शुल्क

प्रत्यायन के लिए शुल्क (कुल मिलाकर) वर्तमान में 55,000 रु. निर्धारित की गई है और जिसका भुगतान सीबीएसई को किया जाना है।

विद्यालयों का अभिविन्यास

सीबीएसई विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर अभिमुख करेगी कि प्रत्यायन के लिए कैसे तैयारी करें। इस प्रकार के अभिविन्यास कार्यक्रमों का विवरण वेबसाईट (accreditation.cbseacademics.in) पर उपलब्ध होगा। विद्यालयों को सलाह दी जाती है कि इस संबंध में किसी प्राईवेट एजेन्सी की सलाह न लें।

बोर्ड अपने सभी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों को उनके गुणवत्ता और श्रेष्ठता के आयामों की समीक्षा करने के लिए प्रत्यायन प्रयोग आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

विद्यालय गुणवत्ता निर्धारण और प्रत्यायन से संबंधित किसी प्रश्न के लिए आप शैक्षिक और प्रशिक्षण एकक (श्रीमती रमनदीप कौर, शिक्षा अधिकारी, सीबीएसई से 011 23232106 या cbsesqaa@gmail.com) पर सम्पर्क कर सकते है। आप वेबसाइट (accreditation.cbseacademics.in) भी देख सकते हैं

भवदीय,

(यू.सी. बोध)

उपसचिव (संबद्धता) 8/11/13

प्रतिलिपि नीचे निर्दिष्ट किये गये संबंधित निदेशालयों/संगठन तथा संस्थान के प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के सभी संबंधित विद्यालयों को सूचना का प्रसार करने के अनुरोध के साथ प्रेषित:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18, इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी–15, सेक्टर 62, इन्स्टिट्यूशनल एरिया, नोएडा–201309
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
4. निदेशक, जन अनुदेशन (विद्यालय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सचिवालय सेक्टर–9, चण्डीगढ़–160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम–737101
6. विद्यालय शिक्षा निदेशक, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–791111
7. शिक्षा निदेशक, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर –744101
8. शिक्षा निदेशक, एस.आई.ई. सीबीएसई सेल, वीं.आई.पीं रोड, जंगलीघाट, पीं.ओ. 744103, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह
9. सचिव, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ई एस एस ई एस एस प्लाजा, कम्यूनिटी सेंटर 3, रोहिणी, दिल्ली –110085
10. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्र में बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुखों को यह परिपत्र भेजने के अनुरोध के साथ
11. सीबीएसई के शैक्षिक शाखा के शिक्षा अधिकारी/सहायक शिक्षा अधिकारी
12. अनुसंधान अधिकारी (तकनींकी) को इस परिपत्र को सीबीएसई की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ
13. पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी, सीबीएसई
14. अध्यक्ष, सीबीएसई के वैयक्तिक सचिव
15. सचिव, सीबीएसई के वैयक्तिक सचिव
16. परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई के व्यक्तिक सचिव
17. प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवीनता) के वैयक्तिक सहायक
18. निदेशक (विशेष परीक्षा), के वैयक्तिक सचिव
19. जन सम्पर्क अधिकारी, सीबीएसई